



# कार्यालय आयुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम, जयपुर

क्रमांक :- एफ-56 ( )/ सि.ला.जो./24/ 1057

दिनांक:- 03/04/2024

प्रेषित :

अतिरिक्त मुख्य नगर निगम

जयपुर नगर निगम, जयपुर

विषय :- अग्निशमन दृष्टि से अस्थाई प्रमाण पत्र देने हेतु।

प्रसंग :- टैगोर पब्लिक स्कूल, वैशालीनगर, जयपुर को अस्थाई अग्निशमन प्रमाण पत्र के बाबत।


श्रीमान जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि टैगोर पब्लिक स्कूल, आम्नपाली सर्किल, जेडीए नर्सरी के पास, वैशालीनगर, जयपुर ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.3.2024 को इस विभाग में देकर निवेदन किया है कि बहुमंजिला बना हुआ है। विद्यालय भवन बहुमंजिला बना हुआ है। जिसके लिए अग्निशमन की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जावे।

मौके का निरीक्षण विभाग के अधिकारी द्वारा किया गया जिसकी रिपोर्ट के अनुसार अग्निशमन दृष्टि से स्वीकृति देने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु प्रार्थी को निम्न शर्तों की पालना करनी होगी:-

1. भवन में फायर हाइड्रैन्ट सिस्टम मय होज, रील होज, पाईप, आदि आपातकालीन बचाव की सीढियां, स्प्रिंकलर सिस्टम पम्प रूम आदि का प्रबन्ध नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार करना होगा। भवन निर्माण करते समय फायर प्रोटेक्शन/ प्रीवेन्शन के प्रावधानों की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी।
2. फायर /प्रोटेक्शन एवं प्रोटेक्शन म्यूजर भवन में लगाये जावे।

यह अस्थाई प्रमाण पत्र इस सत्र के जारी होने के तीन वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।

  
अग्निशमन अधिकारी  
आयुक्त (अग्निशमन)  
जयपुर नगर निगम  
जयपुर नगर निगम